सं0–1651 / XXV ।।।(1)–2004–46 / 2002

प्रेषक,

एस0 राजू
सचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल देहरादून ।

चिकित्सा अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक : 18 नवम्बर, 2005

विषयः श्रीनगर पौडी गढवाल में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु भवन निर्माण से संबंधित अतिरिक्त कार्यो के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0–7प / मे0का0 / 91 / 2002 / 21806 दिनांक 23–9–2005 एवं शासनदेश सं0–1018 / XXV ।।।(1)–2004–46 / 2002 दिनांक 11–7–2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2005–06 मे श्रीनगर पौडी गढवाल में मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु संलग्नानुसार रू0 70,24,000.00(सत्तर लाख चौबीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– प्रत्येक कार्य पर धनराशि का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकति प्राप्त कर किया जायेगा तथा कार्य की अनुमोदित लागत तक ही रखा जाएगा। स्वीकृति संबंधी मूल शासनादेश की सभी शर्ते यथावत रहेगी।

2– उक्त धनराशि कोषागार से तत्काल आहरित की जायेगी तथा पत्यश्चात् निर्माण इकाई–क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड,, श्रीनगर गढवाल एवं निर्माण निगम को उपलब्ध कराई जायेगी। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये। स्वीकृति धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा। अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय नही किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी।

4– स्वीकृत धनराशि का आहरण / कम वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लेखित प्राविधानों एवं बजट मैनुअल व शासन द्वारा मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

5– धनराशि उन्ही योजनाओं / मदों में व्यय की जाय जिसके लिये स्वीकृति की जा रही है।

6– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक माह की 07 तारीख तक शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

7– उक्त व्यय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक मे अनुदान संख्या –12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत –03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105एलोपैथी–03 श्रीनगर में मेडिकल कालेज की स्थापना–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा ।

18– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0–183/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3/20045 दिनांक 14–11–20 प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(एस0 राजू)
सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देरादून ।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3– जिलाधिकारी पौडी।
4– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5– मुख्य चिकित्साधिकारी , पौडी।
6– मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, श्रीनगर बेस चिकित्सालय, श्रीनगर ।
7– क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड,, श्रीनगर गढवाल।
8– निजी सचिव मा0 मुख्य मुख्यमंत्री।
9– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संशाधन निदेशलय, सचिवालय, देहरादून
10– वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 /नियोजन विभाग/एन.आई.सी.
11– आयुक्त गढवाल/कुमायु मण्डल , उत्तरांचल ।
11– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या–1651/XXVIII(3–2004–46/2002 दिनांक नवम्बर, 2005 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0में)

	कार्य का नाम	निर्माण इकाई	लागत	अब तक अमुक्त धनराशि	वित्तीय वर्ष 2005–06 में स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
	2	3	4	5	6
	श्रीनगर पौडी गढवाल के मेडिकल कालेज की स्थापना ।	उ0प्र0रा0निर्माण निगम ।	120.24	50.00	70.24
	योग–		120.24	50.00	70.24

(रू0सत्तर लाख चौबीस हजार मात्र)

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव ।

संख्या : 405/XXXVIII(1)-05/-63/2005

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

निदेशक
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग–1

दिनांक : 30 नवम्बर 2005

विषय : आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना/निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 16218–19/जी 65/2004–05 दिनांक 23 जनवरी 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2005–06 में हरिद्वार में प्रस्तावित आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु टी0ए0सी0 से अनुमोदित आगणन रू0 524.00 लाख (रूपये पांच करोड़ चौबीस लाख) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति देते हुए रू0 1.00 करोड़ (रूपये एक करोड़) के व्यय हेतु सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1– एकमुश्त प्राविधानों को कार्य करने से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त कर लें।

2– कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य कराये तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये। कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा।

3– उक्त धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात् क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराई जायेगी। स्वीकृत धनराशि का उपभोग प्रत्येक दशा मे इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा। निर्माण ऐजेन्सी कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य स्वीकृत लागत में ही पूर्ण कराया जायेगा तथा किसी भी दशा में लागत पुनरीक्षित नही की जायेगी तथा यह कार्य 31 मार्च 2006 तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाये।

4– स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित वाऊचर संख्या एवं दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित प्राविधानों मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित् किया जायेगा।

5– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों मे जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, कि स्वीकृति नियमानुसार कम से कम अधीक्षण स्तर के अधिकारी का अनुमोदन आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

7– कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक हैं। स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

8– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निमार्ण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें ।

10– कार्य करने से पूर्व स्थल का भली भाँति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्भवेत्ता के साथ आवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निद्रेशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

11– आगणन को जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद मे व्यय कदापि न किया जाए। निर्माण सामग्री को प्रयोग मे लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा ली जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए।

12– स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा मे माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराई जायेगी। यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्गत किया गया है।

13– निर्माण के समय यदि किसी कारणवश यदि परिकल्पनाओं/विशिष्टयों मे बदलाव आता है तो इस दशा मे शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14– निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू–भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू–भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय।

15– उक्त भवनों के कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुरीक्षित करने की आवश्यकता न पडे ।

16– धनराशि का आहरण एवं व्यय आवष्यकतानुसार अथवा मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाय।

17– उक्त व्यय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक मे अनुदान संख्या –12 के लेखाशीर्षक 4210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय– आयोजनागत –03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान –101 आयुर्वेद –03 आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना/निर्माण –24 वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

18– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0– 263/वित्त अनुभाग–3/2005 दिनांक 29.11.2005 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा, देरादून ।
2– निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल, देहरादून।
3– जिलाधिकारी हरिद्वार।
4– कोषाधिकारी, हरिद्वार।
5– मुख्य चिकित्साधिकारी, हरिद्वार।
6– क्षेत्रीय प्रबन्धक उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, हरिद्वार।
7– निजी सचिव मा0 मुख्य मुख्यमंत्री।
8– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संषाधन निदेषलय, सचिवालय, देहरादून
9– वित्त अनुभाग–3/नियोजन विभाग/एन.आई.सी.
10– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव